I would request that the Prime Minister or the Leader of the House should clarify the Government's position in this regard.

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन,मंत्रियों ने स्वयं खंडन किया है...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): वे खडे हो रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I would like to make it clear that the Ministers, whose names were mentioned, had denied any such endorsement. They have clearly stated that the report is wrong. So far as the Government of India is concerned, we would like to make it clear that the Government is committed to ensure that the Supreme Court's orders in respect of maintaining the *status quo* at the disputed site at Ayodhya are scrupulously adhered to. The hon. Minister of Home Affairs, Shri L. K. Advani, has already categorically affirmed in the Parliament that nobody will be allowed to violate this order. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Sir we would like to know whether the Ministers concerned met the VHP President or not. *...(Interruptions)...* and whether the VHP President was discussing the Delhi weather with them. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: He has refuted. Now, Dr. Raja Ramanna.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we would like... .

MR. CHAIRMAN: No. Dr. Raja Ramanna. *...(Interruptions)...* Dr. Raja Ramanna.

The Mode of Raising Issues in the House

DR. RAJA RAMANNA (Nominated): Sir, I would like to thank you for giving me this chance. I would like to express my concern about various things that have happened in the last few months, and certainly yesterday. I would like to state why I am making this remark. I may not be an old-time Member of Parliament, but I have seen Parliament in operation over a very long time, right from its inception, when I used to see it from the Visitors' Gallery and see Sardar Patel and Jawaharlal Nehru controlling the House. But in recent times and I say this because I am only a Nominated Member and have that insignificance by which I represent the whole country in that sense, because there are a lot of insignificant people in this country all that I

would like to say is, while we have all these rules and regulations, which my friends who are in the lawyers' profession keep quoting, we, sometimes, forget even elementary politeness. I would like to say how unhappy I was at the way we had been treating you, Sir, because the convention whether it is a convention which is written in the book or it is an unwritten convention was that when the Chairman of Rajya Sabha stand upto speak all the members are expected to remain quiet. I have seen this time and again happening that members don't allow a chance, to which the Chairman is entitled, to control the House. I bring this to the attention of my colleagues *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Then, let us have a full discussion. *...(Interruptions)...*

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh) : Sir, you allow a full discussion on the etiquette, the rules and the precedents of this House.

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

DR. RAJA RAMANNA: Let me finish my point. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

DR. RAJA RAMANNA: Sir, I have many other concerns which I have to express today. And I have to express my concern about the way the Parliament is suspended very often, frequently, because it just cannot get on with its work. We have come all the way from different parts of India only to take part in Parliament and get on with the work. But if Parliament has to be suspended, because .... *(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, ...

MR. CHAIRMAN: You don't interfere with the Member.

SHRI NILOTPAL BASU: I am not interfering, Sir.

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Basu, please allow other people a chance to speak. You had plenty of chances before. I don't often speak in Parliament as you do. I am merely saying that Parliament has been suspended, not even yesterday, but many times before; and I can bring to the attention of the House what people outside feel about all this. What people outside feel about our Parliament....... *(Interruptions)...*

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, जितना समय वह ले रहे हैं , उतना ही समय हम भी लेंगे ।

श्री सभापतिः आपको भी टाइम दूंगा। I will give you a chance. *...(Interruptions)...*

DR. RAJA RAMANNA : Our reputation among the people of India is very important. They say, "You come here, close Parliament, collect your money and go home. What is this?" If this attitude spreads, then the very reputation of Parliament will be in question. Sir, I am worried and concerned about it. I don't know who starts the process I am not mentioning the names of any party I don't belong to any party but the fact remains that if you go out and talk to the people in the streets of Delhi or to my colleagues who are scientists, they say, "What is this, the Parliament meets and within a few hours, you come back home; no work is done. Is that what Parliament is meant for?" So, the reputation of Parliament is involved. Therefore, Sir, please accept my concern, my sorrow, that the reputation of Parliament I have seen how respected an institution it was in the fifties' is being questioned outside; not only in India, but also abroad. Those people say, "Indian democracy started well, but this is not democracy when people stop Parliament from functioning". Such things do not happen in European Parliaments. I am not saying that European Parliaments are better or worse, but the fact remains that when the Parliament is not allowed to function even at the beginning of the day, how can the work of the country proceed? Sir, something must be done in this regard. I am told that Members have taken an oath that they will not stop the functioning of Parliament, but what I saw happening yesterday made me very sad and unhappy; and I express my concern over that. Thank you very much, Sir.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Sir, I would like to associate myself with it.

श्री सुरेश पचौरी: परम् आदरणीय सभापति महोदय, जहां तक सदन में मर्यादित आचरण और शालीन व्यवहार का प्रश्न है , मैं सोचता हूं कि सभी माननीय सदस्य पार्टी स्तर से ऊपर उठकर इस बात के पक्षधर होंगे कि हमारा आचरण, व्यवहार ,कार्य-प्रणाली और कार्य-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि इस देश की ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की जनता भी उस को एप्रेसिएट करे।

महोदय, जब में इंजिनियरिंग पास करने के बाद इस सदन में आया था तो मेरे मन में भी कुछ बातों की चिंता थी जो कि माननीय सदस्य के मन में हैं,लेकिन यह सदन कुछ नियम और परंपराओं से चला करता है। मान्यवर , जब मैं नियम की बात करता हूं तो मुझे बड़े अदब के साथ यह कहने की आज्ञा प्रदान की जाए कि नियम 267 इसी सदन के लिए बना है जब कि आम हालातों से हटकर विषम परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए क्युश्चन आवर सस्पेंड करने की

व्यवस्था नियम में की गयी है। महोदय, जब मैं परंपरा की बात करता हूं तो इसी सदन में कई मर्तबा ऐसे वाकये हुए हैं , माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और स्वयं उन्होंने और प्रधान मंत्री जी जो आज के हैं उन्होंने कई मर्तबा सस्पेंशन ऑफ क्युश्चन आवर की मांग उन बातों के अनुकूल दी है। मैं यह नहीं कहता कि वह उस समय सही थे या आज जो दे रहे हैं वह सही है या सत्तारुढ़ पार्टी के सहयोगी डी.एम.के. ने पिछले समय सस्पेंशन ऑफ क्युश्चन आवर की बात कही , वह सही है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हम एकमत होकर यह तय करें कि क्या सही है और क्या गलत है । हम आज ही तय करें कि नियमों में कहां परिवर्तनों कि आवश्यकता है । यदि हम इस बात के पक्षधर हैं कि सस्पेंशन ऑफ क्युश्चन आवर नहीं होना चाहिए तो हम आज ही तय करें कि नियम 267 का जो प्रोविजन है कि चैयरमेंन साहब को अधिकार है कि उस को खत्म कर दिया जाए । यदि हम इस बात के पक्षधर हैं कि इस सदन में उपस्थिति कम रहती है जब कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही होती है तो उस बात को देश की जनता देखती है कि महत्वपूर्ण विषय जब इस सदन में चर्चा के लिए आते हैं तो सारे सदन के सदस्य उपस्थित क्यों नहीं करते हैं? महोदय,मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि आज ही हम यह तय करें कि सदन में सारा समय सारे सदस्य उपस्थित होने चाहिए और जब एटिकेट्स की बात आती है तो माननीय सभापति महोदय जब चेयर पर आएं तो उस से पहले एटीकेट्स में "राज्य सभा एट वर्क" में व्यवस्था की गई है कि उस के पहले सारे सदस्यों को यहां उपस्थित होना चाहिए । महोदय, हम आज ही यह संकल्प ले कि उन एटिकेट्स का पालन होना चाहिए। महोदय, यह हम आज ही संकल्प लें । जब हम स्पेशल मेंशन का पढ़कर वाचन करते हैं तो न केवल प्रेस गैलरी के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं बल्कि जब देश की जनता देखती है तो पाती है कि हम अपने मन से नहीं बोल सकते बल्कि पढ़कर बोलते हैं । "पर उपदेश कुशल बहुतेरे।" हम कहते ऐसा हैं जो जनता को अच्छा लगता है, लेकिन हम करते वैसा हैं जो जनता को अच्छा नहीं लगता है। इसमें हमको डेफरेन्सिएट करना चाहिए आज हमको यह फैसला करना चाहिए कि नियमों में परिवर्तन हो ताकि हम उन नियमों का उद्धरण न देते हुए सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर की बात न करें ।

मान्यवर कल की बात माननीय सदन में आई है तो में अपनी बात समाप्त करने से पहले कल की बात पर आता हूं । इस देश में 6 दिसम्बर , 1992 को जो शर्मनाक घटना घटित हुई , उसके प्रति सभी ने अफसोस जाहिर किया सभी ने शर्मिन्दगी महसूस की । वह आम हालात नहीं थे, वह विषम परिस्थिति निर्मित हुई थी , जिससे सभी को वेदना हुई थी, जिसके प्रति देश की संसद ने ही अफसोस जाहिर नहीं किया बल्कि जैसा माननीय सदस्य ने विदेश का जिक्र किया,अमरीका की संसद तक ने उसकी भर्त्सना की थी । ऐसे हालातों पर चर्चा करने के लिए और जब ऐसे हालात बढ़ते जाएं , उनके लिए जिम्मेदार इस सरकार में शामिल पांच मंत्री माने जाएं और निश्चित रूप से आम हालत न दिख रहे हों , विषम परिस्थिति हो तो इसके लिए हमारे यहां नियम 267 में यह व्यवस्था कि गई है कि हम सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर की मांग करें। इस सदन में खुद माननीय सभापति महोदय ने कहा है कि feeling of the House is above the ruling of the Chair, जब हाऊस की फीलिंग रही है कि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना शर्मनाक घटना हुई है तो ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल)**:** हाऊस की फीलिंग नहीं है। ...(**व्यवधान**)... This is the feeling of a section of the House, but not the House.

श्री सुरेश पचौरीः सर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिले , जब उनको आपने एलाऊ किया है। ...(व्यवधान)..

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he is saying that they don't feel ashamed of the incident of 6th December, 1992.

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सभापति महोदय, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान आप ऐसे गांधीवादी विचारक हैं, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता होनी चाहिए । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब मैं बात करता हूं तो इस माननीय सदन में बैठने वाले संसद सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और जब मैं जिम्मेदारी और जवाबदारी की बात कर रहा हूं तो जिम्मेदारी और जवाबदारी वह होती है, जिसकी देश की जनता हमसे अपेक्षा करती है । अब जब देश की जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि सरकार में शामिल जो पांच मंत्री विश्व हिन्दू परिषद की एक मीटिंग में शामिल हुए थे हम उस मुद्दे को माननीय सदन में उठाएं, जब इस देश की जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना की पुनरावृत्ति फिर न हो , जब इस देश की जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए हैं उनका पालन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही और सीबीआई, जो केन्द्र सरकार के अधीन है, वह उनका पालन नहीं कर रही , उसकी तरफ माननीय सदन का ध्यान दिलाएं तो हम रुल में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत करते है और हम यह नहीं सोचते हैं कि हम नियमों के प्रतिकूल चल रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, जहां तक आचरण और व्यवहार की बात है, मैं खुद इस बात का पक्षधर हूं कि हमारा मर्यादित आचरण होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ,जिस व्यवहार की अपेक्षा न केवल देश की जनता हमसे इस माननीय सदन में करती है बल्कि विदेश की भी जनता हमसे करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बात केवल एक पहेली के रुप में नहीं रह जानी चाहिए कि आज यहां केवल एक या दो माननीय सदस्य अपनी बात कहें और यह बात यहीं खत्म हो जाए बल्कि आज केवल एक या दो माननीय सदस्य अपनी बात कहें और यह बात यहीं खत्म हो जाए बल्कि आज ही हम यह तय करें कि नियमों में क्या परिवर्तन किये जाएं।अगर पूरा सदन सहमत हो कि जो रुल 267 में प्रोवीजन है उसे खत्म किया जाए तो उसे आज इस हाऊस में पास कीजिए। अगर माननीय सदन इस बात के लिए सहमत हे कि कौन सा फोरम मिले, कौनसा ऐसा अवसर मिले कि इम्पोटेंण्ट मेटर हम खुद सदन में उठा सकें ,भले ही जीरो अवसर का प्रोवीजन हो, तो इस पर भी इस सदन की राय ली जाए और जीरो आवर इस सदन में प्रारंभ किया जाए, जो दूसरे सदन में है। यदि सदन की राय हो कि स्पेशल मेंशन हम तोते की तरह पढ़कर न बोलें ,विषय पाठ न करें तो आज ही इस पर राय ली जाए क्योंकि इस सदन में यह व्यवस्था पहले रही है। स्पेशन मेंशन एक दिन पहले के नोटिस की व्यवस्था कुछ दिनों पहले से प्रारंभ हुई है। पहले तो यह व्यवस्था रही है कि जीरो आवर हम उठाते रहे हैं। एटीकेटस की बात का हमारे यहां पालन होता रहा है।

आदरणीय सभापति जी, मैं अपनी बात फिर से इस बात को दोहरा कर समाप्त करना चाहूंगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जहां तक सदन की बात है, मर्यादित आचरण की बात है, आप इसके प्रति चिंतित हैं और आप सर्वोच्च आसंदी पर जो आज विराजमान हैं तो निश्चित रुप से इसकी शुरुआत होगी। हमारे यहां कई फोरम हुए, कई सम्मेलन हुए , अभी

प्रिसाइडिंग आफिसर की कांफ्रेंस सेंट्रल हाल में हुई, उससे पहले अर्ध-शताब्दी वर्ष हम लोगों ने मनाया ,जिसमें संविधान के कई प्रकार के रेजोलूशन पास हुए, लेकिन उसका क्रियान्वयन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि क्यों न यह सर्वोच्य सदन, यह उच्च सदन आज ही इस प्रकार का निर्णय ले और हम ऐसी परंपरा शुरु करें। इसलिए जो चेयरमैन साहब की रुलिंग है और इस सदन की परंपरा है कि Feeling of the House is above the Chairman, मान्यवर ,इसी हाऊस की फीलिंग आज ली जाए और इसका पालन किया जाए, हम इससे सहमत होंगे लेकिन यह सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए कि 6 दिसंबर आया आपने सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर की बात क्यों की?

हमें वेदना पहुंची थी, हमें शर्म आई थी, आपको आई हो चाहे न आई हो, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप उससे सहमत हों या असहमत हो लेकिन हम इस बात से सहमत थे कि वह एक शर्मनाक घटना हुई थी और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो उस शर्मनाक घटना के लिए जिम्मेदार थे, ताकि उसकी पुनरावृति न हो।

इसमें जो एटीकेट्स के बारे में सारे रुल्स में प्रोविजन है, हम आज ही फैसला करें कि क्वेश्चन ऑवर के दौरान कोई बीच में उठकर नहीं आएगा, पूरे समय लोग बैठे रहेंगे , चेयरमैन साहब से पहले सब लोग आएंगे ,ये सारे ऐटिकेटस जो रुल्स बुक में दिए गए हैं, इन पर आज हम फैसला करें,मेरा आपसे यह आग्रह है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोग निर्णय करें।

मान्यवर ,प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? ऐसी स्थिति इसलिए निर्मित होती है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य नहीं रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है चाहे आज ये सत्ता में हों और हम विपक्ष में हों या कल हम सत्ता मे हों और ये विपक्ष में रहें। इसलिए आज यह फैसला होना चाहिए कि कम्युन्केशन गैप नहीं होना चाहिए ,सामंजस्य रहना चाहिए और ऐसे मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहें ,जो जरुरी मुद्दे हों, उन पर सरकार को डिस्कशन की स्वीकृति देनी चाहिए ।जब सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है, कोई समय तय नहीं करती है, कोई तिथि तय नहीं करती है तो यह स्थिति निर्मित होती है।

सभापति महोदय, मैं एक मिसाल देता हूं। मैं खुद इस सदन में 17 वर्षों से हूं और इस सदन में जब मैं आया तो मैं हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का राज्यसभा सदस्य था और मैं खुद इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होने के आया हूं। बात यह है कि हॉफ-ऐन ऑवर डिस्कशन हमेशा हर सत्र में होता है लेकिन पिछले 2 सत्रों से ऐसा हो रहा है कि इस सदन में हॉफ-ऐन-ऑवर डिस्कशन किसी इशू पर नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप या तो सदन की राय लें कि क्या होना चाहिए या एक मीटिंग बुलाएं ताकि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन के सदस्य अपना पार्टिसिपेशन करना चाहें, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहें, ऐसा पार्टिसिपेशन करना चाहें जिसकी जनता उनसे अपेक्षा करती है, वह कर सकें तभी हम अपनी सार्थक भूमिका निभा पाएंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपक कृतज्ञ हूं।

SHRI NILOTPAL BASU : Hon. Chairman, Sir, I thank you for your kind permission. I think at the very outset, I must congratulate Dr. Raja Ramanna for bringing before the House a very important issue. I think the implication of the issue was far beyond his feelings of personal hurt. It

actually encompasses certain fundamental questions about the role and functions of this august House. Now, as I understand, the basic function of a legislature arises, and its relevance arises, out of the concept of accountability of the Government to the Legislature. This is very very vital not only for the importance of the Legislature itself, but also, as I believe, in a parliamentary system, the executive also derives and sustains its strength from its accountability to the legislature. Therefore, the question of discipline and decorum has to be measured and evaluated in terms of how far this basic relationship between the executive and the legislature is functioning. We often find that there is some agitation in the minds of the Members, particularly belonging to the Opposition, that there is an evident deviation from the principle of Government's accountability, the Executive's accountability to the Parliament. It happened with those people sitting on my left and it has also happened to the people sitting on my right. I think, often we have exchanged our positions. But the basic agitation in the House or an attempt to enforce this accountability on the part of the Executive to the legislature has been the basis on which agitations have taken place in the House.

Therefore, what I felt bad about Dr. Raja Ramanna's concern was that he was very selective in the choice of his example. We have also seen, very recently, a partner of the NDA Government, gave a notice for suspension of the Question Hour. The House was disrupted for three days. I am not going into the merits or demerits of the agitation against a political party, on the basis of which the House was disrupted, and its present relationship with the Government. I am not going into those questions. But, our people want us to imbibe the qualities of probity, transparency and so many other merits. Now, you see, people are changing their sides and are indulging in defection. Today, they are with the Government; tomorrow they will be with another one. Today, they will be with a particular political party, tomorrow they will be with another party. I do not think these are the attributes which the people want to see in any one of us. But we have seen this happening. This also demoralises the people of this country. Therefore, we have to discus? this. This is a very serious issue. This impinges on certain very basic questions. We are at the crossroads. We have to see how to make our democracy a more meaningful one. We have to see how we should conduct ourselves in the legislature. It is a very very important issue, and I totally agree with Mr. Pachouri that if we have to subject ourselves to certain rules and regulations new situations have emerged, new reaities have come in then we have to look into these things.

Therefore, we have to see whether the rules that we had framed earlier are relevant today, and how we should update it should be a subject matter of a comprehensive and threadbare discussion which we, as a party, the CPI(M) are fully alive to and think that there is an absolute necessity to discuss that and decide so that the discussion that we are having today may not have to be repeated in future. Thank you.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज चर्चा शुरू हो गई है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मौका दिया है। निश्चित तौर पर प्रश्न काल का सस्पैंशन नहीं होना चाहिए। इस विषय पर अक्सर संकल्प लिए गए हैं, शपथ ली गई है, कसमें खाई गई हैं। मैं 1996 में इस सदन में आया, सदन का सदस्य बना। वर्ष 1997 में संसद की अर्ध शताब्दी पूरी हुई और उस विषय पर पूरे विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय संकल्प लिया गया था कि कम से कम क्वेश्चन ऑवर सस्पैंड नहीं किया जाए । तीन दिसम्बर को यहां सेन्ट्रल हाल में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों ने और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स ने भाग लिया। उस सम्मेलन में भी यह संकल्प व्यक्त किया गया कि कम से कम क्वेश्चन ऑवर सस्पैंड नहीं किया जाना चाहिए। श्री सुरेश पचौरी जी ने यह विषय रखा कि रुल बुक में एक रूल है, लेकिन यह नियम इन दोनों संकल्पों से पहले का है। अगर यह संकल्प हमने लिया है , मन से लिया है और इस संकल्प में हम विश्वास करते हैं तो बेहतर होगा कि इस नियम को बदल दिया जाये , इस नियम को उस नियम की किताब से निकाल दिया जाये नहीं तो इस संकल्प का कोई अर्थ नहीं है, सारा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा । जहां तक उस विषय की मैरिट का प्रश्न है, मैं देख रहा हूं कि पिछले नौ वर्षों से इस विषय पर हर वर्ष 6 दिसम्बर को सदन में हंगामा होता है क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड किया जाता है यह कहकर कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए । जब क्वेश्चन ऑवर सस्पैंड हो गया,पूरा सदन ही सस्पैंड हो गया, पार्लियामेंट में जब कोई बातचीत नहीं होगी तो इस विषय पर चर्चा क्या होगी? इस विषय पर 40 बार चर्चा हो चुकी है । मेरा भी मानना है कि क्वेश्चन ऑवर सस्पैंड करने के बजाय इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो , राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर चर्चा हो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो और निश्चित तौर पर इस विवाद का एक समाधान ढूंढा जाय। जिस वी.एच.पी. की मीटिंग की चर्चा हो रही है, डा.मनमोहन सिंह जी ने उस मीटिंग की चर्चा की है कि उसमें पांच मिनिस्टर थे , उस बैठक में मैं भी गया था । मैंने स्वयं पूछा कि पूरे विवाद में संसद की अपनी कुछ भूमिका हो सकती है क्या ? और एक विचार आया है कि बिल्कुल एक संसदीय समिति बनाकर इस प्रश्न को हमेशा के लिए मिटाया जाना चाहिए । इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि सदन के कार्यक्रम को स्थगित करने के बजाय सदन को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए निपटाना चाहिए , वरना आज नौ साल हो गये हैं, पता नहीं और कितने साल इसी तरह से साम्प्रदायिक तनाव में गुजर जायेंगे । अयोध्या में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसमें किसको वेदना हुई , किसको सुख मिला, किसको खुशी मिली, मुझे उस विवाद में नहीं जाना है । अगर उन्हें वेदना हुई है तो किसी को खुशी भी नहीं हुई है। उन्हें वेदना हुई है तो मुझे खुशी हुई है । उस खुशी का मैं इजहार करता हूं लेकिन बार बार उस खुशी के ऊपर ,बार बार उस मुद्दे के ऊपर इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके , उनकी भावनाओं को आहत करके आप नहीं चल सकते हैं । कहीं न कहीं पूरे विवाद के समाधान का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि उस तरफ जो लोग बैठे हैं जो अपने आपको

धर्मनिरपेक्ष कहते हैं , जिनको राम में ज्यादा विश्वास नहीं है, जिनको बाबर में ज्यादा विश्वास है , वे लोग चाहते हैं कि यह समस्या यूं ही चलती रहे , वे लोग चाहते हैं कि यह विवाद यूं ही चलता रहे । इसलिए मेरा सदन से यह अनुरोध है कि ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल)**:** सभापति महोदय, यह विवाद खड़ा कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... क्या यह अयोध्या मुद्दे पर बहस हो रही है?...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: This must be expunged. It is a misuse of this forum. *...(Interruptions)...*

श्री संजय निरुपमः उस तरफ से ही यह चर्चा शुरू हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए । ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम : आप लोग शोर मत मचाइए। ...(**व्यवधान**)... दुख की बात यही है कि वह अपनी बात तो कह देते है और हम सुन लेते है लेकिन जब हम अपनी बात कहते है तो उसको सुनने और समझने की क्षमता उनके अंदर नही होती । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन है और इस सदन में अलग-अलग विचार व्यक्त होते है, अलग-अलग विचारों को सुनना चाहिए । जब हम आपको सुनते हैं – हम अभी भी सुन रहे थे और मैंने तब ऐतराज किया था । जब उनके रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह फंस गयी थी, एक ही बात को वह बार-बार रिपीट कर रहे थे, तब मैंने ऐतताज किया था लेकिन मैंने सुरेश पचौरी जी की पूरी बात सुनी । ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : आपको तो खुशी हुई है न । ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपमः ठीक उसी तरह से आपको भी पूरी बात सुननी चहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन में ऐसा संकल्प लिया जाए कि आइंदा, आज के बाद हम क्वेशचन आवॅर सस्पैंड करने का निर्णय किसी भी तरह से न दें। इसको राजनैतिक आग्रहों से ऊपर उठ करके- इस तरह और उस तरफ,सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो तरफ के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कम से कम कवेश्चन आवॅर सस्पैंड न किया जाए जो हम सदस्यों का विषय होता है। हम सदस्य जनता के प्रश्न वहां पर उठाते है। आइंदा आने वाले दिनों में सभापति महोदय, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप किसी भी पक्ष को कभी भी क्वेश्चन आवॅर सस्पैंड करनी की अनुमति न दें। धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे(बिहार)**:** ऐसी बातें भी न कही जाएं जो दूसरों को बुरी लगें।

SHRI INDRAMANI BORA (Assam): Mr. Chairman, Sir, I am a new Member. I have quietly been listening to all the deliberations of this House because I wanted to learn about the procedure. Today, I am with my colleague. I share his sentiments. I have read the book regarding the behaviour of Members, what should be the behaviour of the Members. I was surprised when this point, raised by the hon. Member, had been diverted to so many things. His concern was that the Members should behave in a decent manner. They should not interfere. They should not interrupt. They should patiently listen to others because the proceedings of

the House are telecast all over the country, and, perhaps, outside the country also. He was expressing his concern here, not with any intention to hurt any Member. But some Members diverted the whole thing to matters like whether the Question Hour should be suspended or not suspended. Now, what should be our behaviour in the House? We should be tolerant when others speak. We will be allowed to speak when our turn comes. So, there is no question of suspending the Question Hour. We should make a self-analysis regarding our behaviour in the House. Of course, that is written in the book also. My point is that we should be tolerant. The matter should not be diverted. We should make self-analysis of our behaviour so that the people who are viewing our activities may not ask, "Did we send you to the Rajya Sabha for doing this?"

श्री जनेश्वर मिश्र(उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सभापति महोदय, यह वाकई बहुत ही गंभीर मसला है और मैं खुद बहुत दिनों से चिंतित था कि ऐसा क्यों होता है। कल जब क्वेश्चन ऑवर से लोग बाहर निकल रहे थे तो एक मिनट मुझे आने में देर हो गयी थी , सदन स्थागित हो गया था। मैंने पुछा कि क्या हुआ तो एक मैंबर ने कहा कि पोस्टपोन हो गया । हमने कहा कि कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि नेता लोगों ने चैम्बर मे ही तय कर लिया था कि आज पोस्टपोन कर देंगे । ये लोग आपस में ही तय कर लेते हैं। रुलिंग पार्टी भी कहती है कि ठीक है, छोड़ो। लेकिन यह बात क्वेश्चन आवर की नहीं है। कुल मिलाकर यह बात शालीनता की है। शालीनता व्यक्तिगत चारित्र का एक लक्षण हैं। कोई व्यक्ति स्वभाव से उतावला होता है. कोई उम्र के हिसाब से उतावला होता है और कोई स्वभाव से शांत होता है। हम भी जब संजय की उम्र के थे तब लोक सभा में बहुत हल्ला करते थे, आडवाणी जी हमें देखते थे । उस समय ये विपक्ष के नेता थे कांग्रेस की सरकार थी । अब हम हल्ला नहीं करते , चुपचाप लोगों की बानगी लेते रहते हैं कि क्या कह रहे हैं । सदन में शालीनता होनी चाहिए । इस पर हाई कोर्ट ने या एक सेशन जज ने एक बार पार्लियामेंट को मछली बाजार तक कह दिया था । उस समय हम लोगों ने लॉ मिनिस्टर से ऐतराज किया था कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन शालीनता जबर्दस्ती थोपी नहीं जा सकती क्योंकि हम लोग पंचायत के मैंम्बर हैं। पंचायत में जो मैंम्बर अपनी बात खुलकर नहीं कह सकता वह मुल्क के साथ अन्याय कर रहा है। जब कभी शालीनता के नाम पर कुछ नियम ऊपर से थोप दिए जाएंगे तो हम खुलकर बात करने लायक नही रहेंगे। हमारे अंदर दुब्बूपन आ जाएगा , हम बात-बात में डरते रहेंगे । यह बहुत बारीक बात है और इसे बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए । राजा रामण्णा साहब ने पटेल और नेहरु जी का जिक्र किया । उस जमाने की बात भी मैं जानता हूं। मैं लड़का था उन दिनों । उन दिनों देश की जनता में सत्ता परिवर्तन की भूख नहीं जगी थी । आज पटेल और नेहरू के जमाने का हिंदुस्तान नहीं रह गया है। अब हर आदमी महसूस करने लगा है कि अगर हमारी उंगली मे काली रोशनी लग गई तो हम तख्त पलट देंगे। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं होता था। इसे जनता की बदमिजाजी कह लीजिए । कभी सत्ता में आप बैंठेंगे,कभी ये लोग बैठेंगे,कभी हम बैंठेंगे लेकिन जनता को यह अधिकार दिया गया है और वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करना सीख गई है । इंटेरिम पीरियड में देश में जो इनडिसिप्लीन फैलता है उस इनडिसिप्लीन को भी मैं जानता हूं । चूंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं इसलिए हम उनका टोटल प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनमें इनडिसिप्लीन है तो हम उनके

इनडिसिप्लीन का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। अगर उनके जज्बात को चोट लगी है, जैसा अभी पचौरी साहब ने कहा कि किसी के जज्बात को चोट लगाई जाए, तब से हिंदुस्तान बहुत बदला है, कई प्रधानमंत्रियों पर मुकदमे चल चुके हैं, कई मंत्री कई मामलों में आरोपी हैं लेकिन ये उसके बाद भी मंत्री हैं, उनकी जांच चल रही है, अदालतों में केस चल रहे है, सी.बी.आई. जांच कर रही है। यह नेहरू का जमाना नही है, पटेल का जमाना नहीं है। एग्जीक्युटिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, समाज में भी बदअमनी आई है, कई खराबियां आई है इसलिए जब कभी ऐसी घटना होगी तो लोग उस पर हल्ला मचाएगें। आरोपित मिनिस्टर आते हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछता । इतने बड़े देश के लोकतंत्र की सरकार के मंत्री से दोनों सदनों में कोई सवाल न पूछे क्या यह बदअमनी नहीं है? क्या इसे अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा? शालीनता इसके साथ-साथ यह भी कहती है कि जो पदों पर रहें उनमें शर्मिन्दगी आनी चाहिए। शालीनता केवल बदअमनी नहीं है उसमें शर्मिन्दगी भी होती है। लेकिन अब वह शर्मिन्दगी तो होती नही। जिन लोगों पर आरोप लगते हैं वे बैठे रहते हैं, जवाब देते हैं, हमारे मिनिस्टर कहलाते हैं, उनकी कलम से देश चलता है। सभापति महोदय, एक विचित्र किस्म की स्थिति है। मैं फिर कहता हूं कि जैसी देश की जनता होगी वैसी ही उसकी संसद होगी । संसद के लिए अलग से नियम कानून नहीं है। यह कोई पलटन नहीं है, बच्चों का स्कूल नहीं है कि पीटकर बैठा दिया जाए। यह संसद है इसमें चुने हुए लोग हैं। सभी व्यक्ति संसद की बोली में जिम्मेदार माने जाते हैं। अभी हमने सुना कि स्पीकर लोगों की प्रिसाइडिंग आफिसर लोंगो की मीटिंग हुई । उसमें कुछ नियम बनाने की बात चली । नियम पार्लियामेंट असेंबली अपने आप में बनाये स्वेच्छा से बनायें यह एक अलग बात है लेकिन अधिकारी लोग बनायें यह उचित नहीं। कई जगह स्पीकर लोगों और प्रिसीइडिंग अफिसर्स की व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग बहुत ऐतराज कर चुके है। सुबों में बहुत ही ऐतराज किए गए है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संसद पंचायत है। आडवाणी जी पेशे से वकील हैं। उन्हें बहस करनी आती है। लेकिन पंचायत में वकीलों की बहस नहीं होती । वहां पर अपने पक्ष को जिताने के लिए बहस नहीं की जाती । पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद नतीजा निकलता है। पंचायत का चरित्र और अदालत का चरित्र अलग-अलग होता है। हम लोंगों में एक लक्षण पैदा हुआ है कि मैं जिसको ठीक मानू वह ठीक है और हम जिसको ठीक नहीं मानते वह ठीक नहीं है। संसदीय प्रथा में यह होना चाहिए कि हमने जितनी समझदारी है उतनी समझदारी से हम अपनी बहस करेंगे और आप उसको चुपचाप सुनिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो मान लीजिए नहीं तो अपनी समझदारी के मुताबिक आप हमें समझाइए और हमको अगर आपकी बात अच्छी लगेगी तो हम उसको मान लेंगे । यह नियम तो खत्म हो गया क्योंकि सहनशीलता का अभाव है। हिंदुस्तान बहुत जल्दी उखड़ता है और इस समय हमारी संसदीय प्रथा उखड़ी हुई है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस पर एक पूरी बहस हो। बल्कि इसके लिए आप स्पीकर से बात करिए कि हम सांसदों का आचरण कैसा हो हम लोग कैसा आचरण करें, इस पर विचार विमर्श हो, क्योंकि हम कही न कहीं भटके हुए हैं। इस भटकाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी रुलिंग पार्टी की होती है । रुलिंग पार्टी का काम होता है कि जहां पेच अटका को उसके लिए वह विपक्ष से बात करे। इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में पार्लियामेंटरी एफियर्स मिनिस्टर थे वे दौड़कर विपक्ष की तरफ जाते थे। लेकिन अब हमने संसदीय कार्य मंत्री को विपक्ष से सलाह करते हुए नहीं देखा है। कहीं न कहीं व्यवहार में कमी हो रही है । माना जा रहा है कि हम सत्ता में है तो हम विपक्ष से क्यों बात करें या हम

मान रहे हैं कि ये सत्ता में हैं तो सत्ता पक्ष का विरोध करने के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद की बात पर आज गंगा नदी रुक सी गई है । युगों से बहने वाली नदी जैसे ठहर गई है। अगर बाररी मस्जिद के मामले में मुसलमानों को चोट लगती है तो बहुसंख्यकों को भी चोट लगती है क्योंकि वे गंगा की पूजा करते हैं। किसी जमाने में गंगा जो शंकर की जटा में ठहरी थी आज वह फिर ठहर गई है। अखबार में पढ़ने के बात झटका लगा कि यह क्या हुआ। मैं गंगा के किनारे पैदा हुआ हूं इसलिए हमको ज्यादा झटका लगा। हम यह बात उठायें तो यह धार्मिक सवाल नहीं है या कोई मुसलमान या हिंदू बाबारी मस्जिद की बात उठाए तो यह धार्मिक सवाल नहीं है। किसी के जजबात को ठेस पहुंचाने से मुल्क चल नहीं सकता । इस बारे मैं खुलकर हमें आपको एक सलाह देनी है। मैं सलाह देने के लायक तो नहीं हूं लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्पीकर साहब से बात करें और सब लोगों की बैठक बुलायें । पूरे दिन, दो दिन, चार दिन सब लोगों की बैठक हो जाए और सभी ग्रुपों के लोग आपस में बात करें कि इस बिगड़ी हुई हालत को कैसे सुधारा जाए। देश का मिजाज, देश की जनता का मिजाज जो इस समय बिगड़ा हुआ है उसको कैसे सुधारें। शालीनता के नाम पर किसी को दब्बू नहीं होने देना है, पलटन के सिपाही की तरह या स्कूली बच्चों की तरह दब्बू नहीं बनाना है। खुलकर आपस में बहस हो और इसके लिए नियम बनाया जाए । यह बात सही है कि बहुत सी बातें कई परिवर्तन करके रोक दी गई है। हम उसको देखते है। हमको भी अच्छा नहीं लगता है जब यहां पर विशेष उल्लेख हम कागज पढ़कर करें । लेकिन अब करें तो क्या करें। बचपन में भी हम कागज पढ़कर मास्टर जी को जवाब नहीं देते थे या कोई बात नहीं करते थे। लेकिन अब करना पड़ रहा है। पहले जब प्रधानमंत्री लोग या मंत्री लोग कागज पढ़कर बोला करते थे तो हम लोग उन पर हंसते थे कि वे ऐसा कर रहे हैं। मोरारजी भाई से हमने एक बार कहा था कि यू.एन.ओ. में जा रहे हैं पढ़ कर बोलेंगे तो उन्होंने कहा कि क्या करें विदेश का मामला है। हमने कहा कोई बिना पढ़े नहीं बोलता है तो कहने लगे कि चर्चिल बोलता था बिना पढ़े । कई बातें हैं। आप क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहां पढ़ कर जवाब देते हैं, गृह मंत्री जब पढ़कर जवाब देते हैं तो क्या वह देश की जनता नहीं देखती।...(**व्यवधान**)... हम अपनी बात नहीं कर रहे है। हम इतना भी तैयार हो कर नहीं आ सकते कि हमारी जो नीतियां हैं उनकी सही सही बात अपने मुंह से निकाल सके । इससे अच्छा तो वाइवा में स्कूली बच्चे जवाब दिया करते हैं। कई बातें हैं जो शालीनता की निगाह से देश और दुनिया की दृष्टि में खराब होती जा रही हैं, उन पर हमें गौर करना चाहिए और गौर करने के बाद हम चाहेंगे की दो दिनों के लिए एक सामूहिक बहस कराएं स्पीकर साहब से बात कर के । आप दोनों बैठे रहें और उसके बाद जो भी फार्मूला अपनाएंगे हम लोगों को समझ कर के देखों तुम लोगों की बहस से यह यह बातें निकली हैं और यह यह तुम लोगों के आचरण के लिए तय कर रहे हैं, इसको अंगीकार करो । किसी जमाने में अम्बेटकर साहब ने संविधान बनाया हिन्दुस्तान की जनता ने अंगीकार कर लिया तो क्या संसद के सभी लोग बहस करने के बाद स्पीकर और चैयरमैंन बैठ कर के जो फार्मूला बना देंगे संसद के चलाने के लिए, हम संसद सदस्य अंगीकार नहीं कर लेंगे ? उसको थोपना नहीं माना जाएगा , उसको अंगीकार करना माना जाएगा । ऐसे जो नियम जोर ज़बरदस्ती बनेंगे माना जाएगा कि थोपा जाता है। थोपने के बाद जो मैंम्बर बैंठेंगे नियम के तहत वह दब्बू होंगे और अंगीकार करने के बाद जो मैंम्बर बैंठेंगे इस पंचायत में वह मैंम्बर खुल कर के अपनी बात कहेंगे । मुझे इतना ही निवेदन करना था । सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. RAJA RAMANNA: Sir, I want to make only one point. *...(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE {West Bengal) : Sir, if you permit me, I would *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I have permitted Shri Pranab Mukherjee. *...(Interruptions)...*

DR. RAJA RAMANNA: Sir, I just want to say a word about Panchayat. In the Kannada language, Panchayat is synonymous with trouble making *...(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I agree with Dr. Raja Ramanna that there should be proper behaviour and discipline. Recently, on 25th November, some of us met at the Central Hall; the hon. Prime Minister was also present; and; Sir, you yourself had inaugurated that Conference. We adopted a Code of Conduct and we also adopted a Resolution. Prior to that, on the 50th Anniversary of our Independence, this House itself adopted a Declaration, but still, these things are happening. Why? Let us search our hearts. Sir, it is very easy to make a prescription to do away with this rule or do away with that rule, without knowing the history, without knowing the background. Why was Rule 267 relating to suspension of any rule introduced? It was introduced because of the fact that this House does not have the right to move an Adjournment Motion. But the Lok Sabha has the right to move an Adjournment Motion by which they can say, 'suspend alt Business; something urgent has happened; the House should express its opinion on the particular incident which has taken place; therefore, the normal business be suspended and the Adjournment Motion be taken up for discussion.' That is a right which the Members of the Lok Sabha have, but we do not have. Therefore, it was thought that, perhaps, we can also evolve an instrumentality by which we can do that. Definitely, it cannot be a regular thing; this should be a rare occasion when, in order to ventilate a particular feeling, with the approval, with the permission of the Chair if the Chair does not permit, the question does not arise this demand can be raised. Sir, you yourself will agree that when you were sitting here as a Member of this House I was also a Member at that time a number of times, we had debated, sometimes, for the whole day, on the procedures that we would adopt. I am sorry that, nowadays, we do not debate on the aspects of procedure. Merely shouting and trying to stop each other from speaking does not help us. Why is this happening? The other day you gave

a ruling on Prime Minister's prerogative of appointing Ministers. Everybody knows that the Constitution gives the right to the Prime Minister to choose his or her Cabinet. Nobody can challenge tie Prime Minister. But while applying his right, his prerogative to selec his Cabinet colleagues, if something happens, it touches the raw nerve of the people. Naturally, tension will be created. What is happening today is an outburst of the accumulated tension arising not one on occasion, not on one issue, not on two issues, but on many occasions and on many issues. As a Member of this House, can Dr. Raja Ramanna or anybody else tell me what i should do? When I have a Constitutional right, I have the right to debate an Ordinance, to discuss about an Ordinance and I do not get the opportunity to do so?

DR. RAJA RAMANNA: You cannot stall the proceedings of the Parliament. .. *(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Dr. Raja Ramanna, pSease don't interrupt me. You are too new to understand.

DR. RAJA RAMANNA' I am not. *...(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Therefore, what has happened? We found that an Ordinance was issued by the Executive to achieve an objective. The Constitution has given the power to the Executive that they can issue an Ordinance, anc that Ordinance would be put into operation immediately after its proclamation. An Ordinance was issued in respect of the Prasar Bharati Bill. Under this Ordinance, action was taken. But this House was denied the right to discuss that Ordinance. Such a thing never happened during Nehru's time, during Patel's time, during the long 50 years of this Republic. As we all know, Parliament consists of three elements, the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the President. One wing of the Parliament was not even allowed to have a discussion on this important piece of Ordinance because the ruling party did not have a majority. It was possible that it might have been defeated on the floor of this House. Earlier, Government motions have been defeated. The Motion of Thanks has been defeated. Government Bills have been defeated. But there was a spirit of accommodation. There was a spirit of toleration. What we are lacking today is the spirit of accommodation and spirit of tolerance. Nobody support these things. We should not support. But, at the same time, we shall have to keep in view that since people are coming from different strata of the society, sometimes, certain actions even outside the House creates tension

1.00 P.M.

inside. Therefore, it should be our effort to evolve a mechanism through which we can solve it. These are the measures. It is true that you have taken a position; nobody can challenge your ruling, "If you don't allow the Question Hour to take place, I will adjourn the House for the whole day." On earlier occasions, it has happened. Many of you will remember, those who are old Members, including Shri Advaniji that even the whole first half of a sitting was disrupted; only the second part of the sitting took place. But, nowadays, it is not taking place. I feel, certain rules are to be evolved to transact the business. I do not know why our hon. friend, Mr. Jancshwar Mishra, was opposed to the procedure of written speech. Special Mentions are being read in the House. He had been a Member of the Lok Sabha for a number of years. With regard to Special Mentions, the same procedure is being followed there. Therefore, it is not a question whether you are making an observation in written or unwritten form. That is not important. What is important is whether we can express a view, whether we can reflect the sentiments. We do not expect that the sentiments would be shared by all. Then, there would be no question of a multi-party system. There would be no question of having divergence of opinion. "Demojracy" means divergence of opinion. Somebody was mentioning tha' the proceedings in other Parliaments are not disrupted. The learned Member should know that in the House of Commons itself, a Member of the Treasury Benches was slapped by a lady Member. I had the privilege of going through some of the types of language which have been used in the House of Commons, how many times expunctions were made. Therefore, let us not imitate them. We have grown enough, we are mature enough; we need not look to them. I am not justifying what is happening. We are ashamed; all of us are ashamed; I have my own share in it. But, at the same time, if I find that somebody served a particular Government and, thereafter, suddenly, finds himself comfortable with the company of somebody else, then, definitely it causes some tension and, sometimes, that tension gets reflected in our behaviour, which we should try to avoid. Therefore, it is a good idea that we should have a discussion. There is no harm in having a fresh look at the rules. We can have that. But, disruption in Parliament should be avoided under all circumstances. At the same time, do not try to sit on judgment and pass verdict against others. Mr. Raja Ramanna may be a Nominated Member. But all of us who represent poltical parties have done the same thing, either sitting on this side or sitting on that side. Therefore, let us try to see how we can evolve a system. Today,

this concern has been expressed. If it was expressed on earlier occasions, I would have been happy. Mr. Raja Ramanna was still a Member then. Therefore, if he had expressed his concern about how a right of Parliament was denied by an executive action, I would have been too happy. Why is he selective?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Better late than never.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, better late than never. I agree. Therefore, one must not appear to be neutral and impartial. We never did it. This is the first time that we discuss the conduct of the House as such which took place a day earlier. I have no problem. If we have the provision, that we can even put a question to a Private Member, by giving due notices. We will have differences of opinion. At the same time, we shall try to evolve a system. Sometimes, what we decide inside is not followed here. Do away with that practice. We can decide everything on the floor of the House. When we adopt certain rules and regulations, we should try to stick to them because these are not somebody's fancy ideas. You may have a difference of opinion about written submissions.

श्री संघ प्रिय गौतमः सभापति जी, एक बज गया है।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम : चेयरमैंन साहब, मुझे एक निवेदन करना है कि प्रणब मुखर्जी जी बार-बार डा.राजा रामण्णा का नाम ले कर सिंगल आउट कर रहे हैं । यह इस तरफ...(**व्यवधान**)... बुरी भावना है।...(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No, no. I am sorry. ... *(Interruptions)....*Sir, I would most respectfully submit, let us have a discussion on it.

MR. CHAIRMAN: It is 1 o'clock now. Would you like to continue?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If you allow me, I would like to continue. I would take another five or six minutes.

MR. CHAIRMAN: Some other Members also want to speak.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, we can have a discussion on that. After the lunch-hour, we can have a discussion. We would like to discuss it.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Then, Sir, please regularise the discussion. We will also speak on this. Please allow time for us, allow us also to express our views.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We would like to have a discussion on this. I will tell you, one day, we had a full discussion on the procedure. Let the other Members also speak. The more we speak, the more we let out our feelings. I think it would help to bring back normalcy. I would like to point out to Mr. Sanjay Nirupam that I have no intention of singling out anybody. If I have carried that impression, I am sorry for it. He is a respected Member. What I am trying to point out is this. When we make our observations generally we should be objective. I am admitting, we have disrupted. We are guilty. I will never say that I have not done it. I have done it. We are guilty. We have violated the rules. But, at the same time, why is it happening? We should try to find out why it is happening. I gave some instances. If I become irrelevant, there is no way in which I can express my opinion. We expressed our concern about the Prime Minister's statement that the construction of the temple is a national sentiment.This House disagreed with Prime Minister through a motion. This House disagreed through a motion. Rule 170 provides that time for the motion is to be given by the Leader of the House, and if the Leader of the House had given time, which he gave after four days of disruptions, on the very first day, the issue could have been decided. And if it had been decided, the heavens would not have fallen. We disagreed with the Prime Minister's contention, but the Prime Minister is still there because, constitutionally, we have no power to remove the Prime Minister. But he could have saved four days of disruptions. Sir, most respectfully, what I am trying to submit is, as I was occupying that office Leader of the House for five years, I helped the Chair to run the House, and I too ran a minority party. So, we could have avoided it. Sometimes, even sitting there, we adopted the motion for the Opposition. Mr. Advani will bear me out. When the question of one Chief Minister's conduct was to be discussed on the floor of the House, the rules stood in the way, but, sitting with him, sitting with Mr. Ramamurthy, and with the leader of the CPI, Mr. Bhupesh Gupta, we could evolve a formulation through which the discussion could take place. That defused the tension. Therefore, if we want to defuse the tension, if we do not want to live in tension, some sort of mechanism like that would have to be evolved. Simply giving sermons, however important he or she may be, is not going to help us. This is my most respectful submission to you, Mr. Chairman.

श्री एस.एस अहलुवालिया (झारखंड)ः सभापति महोदय, डा॰ राजा रामण्णा जी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिस को लेकर एक बहस चल पड़ी है । महोदय, मैं हमारे सदन के सब से वरिष्ठ नेता माननीय प्रणब मुखर्जी से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे सदन की

कार्यवाही सदन की धारा-118 के तहत जो रूल बनते हैं, उस के तहत चलती है। महोदय. वर्ष 1964 में पहली बार इस सदन के रुल्स-रेगुलेशंस बने थे। मैं वर्ष 1986 से इस सदन का सदस्य हूं। मैं ऐसा कोई क्रेडिट नहीं ले सकता कि मैं सदैव अनुशासन में रहकर यहां काम करता रहा हूं।

श्री जनेश्वर मिश्रः क्यों?

श्री एस.एस अहलुवालिया : जैसा माहौल था वैसे माहौल में रहकर काम करता रहा, लेकिन जब पार्लियामेंट की और संविधान की स्वर्ण जयंती मनायी गयी उस वक्त सदन के वरिष्ठ नेताओं ने और स्पीकर कांफरेंस में सब ने यह फैसला लिया कि सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमें कुछ तौर-तरीके अपनाने की जरूरत हैं जोकि हमारी रूल बुल मैं अंकित हैं । उन का पूरी तरह पालन करने की जरूरत है।

महोदय, मेरे मित्र और बड़े सक्रिय सदस्य सुरेश पचौरी जी कह रहे थे कि 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ क्युश्चन अवर का प्रावधान है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस संविधान के आर्टिकल 118 के तहत रूल बनते हैं ,उस रूल 267 के पहले रूल 169 आता है जिस में लिखा है और अभी प्रणब बाबू कह रहे थे कि क्युश्चन अवर को सस्पेंड करने का मूल तरीका यह है कि उस पर बहस हो। लेकिन कल हम ने बहस की कोई मांग नहीं की ...(**व्यवधान**)... सदन की कार्यवाही को स्थागित रखने का प्रस्ताव रखा गया और बहस का कोई माहौल नहीं रखा गया है । ...(**व्यवधान**)... आप की जानकारी के लिए सुन लें । महोदय. नियम 169- Conditions of Admissibility में किसी भी मोशन को एडमिट करने के पहले जिस कंडिशन की जरूरत है , उसमें कहा गया है-"It shall be restricted to a matter of recent occurrence", तो एक तो बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना कोई रिसेण्ट आकरेन्स नहीं था। अभी अभी माननीय प्रणब बाबू ने कहा कि कोई ऐसी घटना अचानक घट गई हो तो सदन को पूरा अधिकार है, चाहे वह विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको अधिकार है कि उस पर चर्चा करे।...(**व्यवधान**)... मैंने किसी को टोका नहीं प्लीज मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए ।

श्री बालकवि बैरागी(मध्य प्रदेश)**:** एक दिन पहले पांच मंत्री शामिल हो जाएं तो यह तत्काल की बात नहीं है क्या ?...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस अहलुवालिया :यह बाद की बात है । महोदय, दूसरा कारण एक और है जो टर्म में आता है। "It shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session". इस सदन का सत्र शुरू होने के तुरन्त बाद बाबरी मस्जिद में अनधिकार प्रवेश को लेकर एक बहस हो चुकी है इस सदन में भी और उस सदन में भी। मेरा यह कहना है कि अगर आप रूल 267 के तहत जब कानून की किताब दिखाकर क्वैश्चन आवर सस्पेंड करने की बात करते हैं तो उस वक्त रूल 169 को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि पूरे कानून के तहत काम करने की जरूरत है । हम यहां बार-बार रेजोलूशन पास कर रहे हैं और खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। रोज अखबार में निकलता है कि संसद के सदस्यों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है , लेकिन क्या यही कोड आफ कंडक्ट हैं?...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) कुछ भी लिखिए कुछ भी बोलिए लेकिन जब तक सोशल टेंशन रहेगी उसकी बात यहां आएगी । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस अहलुवालिया : महोदय, मैं यह नहीं कहता कि नेहरू के जमाने या सरदार पटेल के जमाने को मैंने देखा है। मेरा तो जन्म आजादी के बाद हुआ है। आजादी के बाद जन्म लेकर मैं बड़े गर्व के साथ अपने मन में यह भावना लेकर इस माननीय सदन का सदस्य बनकर यहां आया था। जिस तरह माननीय पचौरी जी कह रहे थे कि वह इंजीनियर हैं मैं भी जब कलकता विश्वविद्यालय के लॉ कालेज से वकालत पास करके यहां आया था तो मैंने भी यह सोचा था कि बहुत सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं, किन्तु काल की गति ने समझा दिया कि सदन में अगर सदन की गरिमा रहेगी तो संसद सदस्य की गरिमा रहेगी सदन और संसद सदस्य की गरिमा रहेगी तो राष्ट्र की गरिमा रहेगी और राष्ट्र की गरिमा रहेगी तो भारतवासी की गरिमा रहेगी , जो भारत के कोने-कोने में ही नहीं बल्कि जहां-जहां चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी जाती है वहां वहां भारत भारतवासी की गरिमा रहेगी।

सभापति महोदय, हमारे जनेश्वर मिश्र जी बड़े वरिष्ठ नेता है। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना 6 दिसंबर की याद आना है। यह बार –बार ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र : हमने ऐसा नहीं कहा।...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस अहलुवालियाः ठीक है आपने नहीं कहा। आप मेरी बात सुन लीजिए।...(**व्यवधान**)... मान लिया, आपने नहीं कहा। लेकिन, जो बात बाबरी मस्जिद के बारे में हुई है, वह ऐसा हैं कि दूध में जोरन डालकर अगर रात भर उसको फेरते रहें तो फिर आप सोचिए कि क्या दही जम जाएगी ? दही नहीं जमेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जख्म है उससे जो तकलीफ माननीय सदन के किसी राजनीतिक दल को या देश के किसी नागरिक को हुई है और अगर हम उस जख्म को ठीक न करके उस जख्म को बार-बार कुरेदेंगे , बार बार उसकी पट्टी को खोलकर देंखेंगे तो वह जख्म भर नहीं सकता है। अगर उस जख्म को ठीक करना है तो उसके कई और रास्ते हैं , जिनके लिए आप इंतजार करें परन्तु इस तरह से लोगों की भावनाओं से खेलकर, उनको प्रदर्शित कर कि हमने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा करके जो राजनीति खेली जा रही है, यह अच्छी बात नहीं है। सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए जो उचित कार्यवाही हो आज उसको करने की जरूरत हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह हैं कि आप उचित कार्यवाही करें, हम उसका निर्वहन करेंगे। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Mr. Chitharanjan.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar) : Sir, what about lunch?

MR. CHAIRMAN: You decide about it.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala) : Sir. I will take only a few minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: Some of us would also like to speak on this issue. We can continue it at 2 o'clock.

MR. CHAIRMAN: At 2.30 P.M. Private Members' Legislative Business is there.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We cannot deny the Private Members their right.

SHRI S.S. AHLUWALIA: We can reassemble at 2 o'clock.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, we can assemble at 2 p.m. The Private Members' Legislative Business would start at 2.30 p.m. We can discuss this issue for half-an-hour.

THE CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL, 1995.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI LK. ADVANI): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Criminal Law Amendment Bill, 1995.

The question was put and the motion was adopted. The Bill was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at sixteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seven minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

The Mode of Raising Issues in the House - *Contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have some names here. I have been told by the hon. Chairman that we can continue discussing till 2.30 what we were discussing before lunch. So, I call Shri J. Chitharanjan.

SHRI J. CHITHARANJAN : Madam Deputy Chairman, i thank you for giving me an opportunity to speak on this issue. I can very well appreciate and understand the hurt feelings of Dr. Raja Ramanna. We have been discussing, on several occasions, the code of conduct for Members, what should be the approach of the Treasury Benches, what should be the approach of the Leader of the House; we have been discussing these things again and again. At the time of the Golden Jubilee celebrations of our Republic, we had a debate on the code of conduct. Even then, these disturbances have bflfen taking place. Recently, on November 25m, again, a